(ग) कोल्ड स्टोरेज लाइसेन्स के नवीनीकरण हेतु प्रक्रियाः-

उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज लाइसेन्स देना नियमावली 1976 द्वारा निर्धारित नियमों का अनुसरण करते हुए और लाइसेंसिंग अधिकारी(कोल्ड स्टोरेज) एवं निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसस्करण उ0प्र0 द्वारा समय-समय पर निर्धारित औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए निर्धारित नवीनीकरण के प्रार्थना पत्र जनपदीय उद्यान अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत किये जायेगें, जिस पर जनपदीय उद्यान अधिकारी (लेबल-1) द्वारा समस्त कार्यवाही पूर्ण कर प्रकरण को सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी एवं लाइसेंसिंग अधिकारी कोल्ड स्टोरेज (लेबल-2), उ0प्र0 के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा और जिलाधिकारी/लाइसेंसिंग अधिकारी कोल्ड स्टोरेज द्वारा नवीनीकरण किया जाता है।

इस आवेदन-पत्र पर निम्नलिखित द्वारा हस्ताक्षर किया जायगाः-

(1) स्वामी का स्वामियों में से एक के द्वारा जहां कोल्ड स्टोरेज को प्राइवेट व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा चलाने का प्रस्ताव हो,

या

(2) महा प्रबन्धक या प्रबन्धक द्वारा कोल्ड स्टोरेज को निगम/सार्वजनिक उपक्रम द्वारा चलाने का प्रस्ताव हो,

या

(3 सचिव जहां द्वारा कोल्ड स्टोरेज को सहकारी समिति द्वारा चलाने का प्रस्ताव हो।

लाईसेन्स नवीनीकरण हेतु उक्त आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रपत्र अनिवार्य हैं, जो निम्नवत् हैः-

1. भवन के सुद्वढ निर्माण के सम्बन्ध में सक्षम इन्जीनियर का प्रमाण पत्र।
2. मशीनरी के सम्बन्ध में सक्षम इन्जीनियर का प्रमाण पत्र।
3. विद्युत लोड स्वीकृत विषयक पत्र की फोटो कापी।
4. जनरेटर की उपलब्धता के संबंध में प्रमाण पत्र।
5. मशीनरी की सूची-
6. पार्टनरशिप डीड/मेमोरेण्डम।
7. बीमा सम्बन्धी कागजात-

(अ) भवन मशीनरी तथा स्टाक (आग एवं अन्य प्रकार की क्षतियों का)

(ब) मशीनरी ब्रेक डाउन।

8. लाइसेंस नवीनीकरण प्राप्त हेतु जमा की गयी धनराशि का मूल ट्रेजरी चालान का विवरण।

उप निदेशक (आलू)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ